पत्रावली संख्या - 97

पत्रांक/जी0एस0टी0/शोध/2017-18 68 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0

(जी0एस0टी0 अनुभाग)

लखनऊः: दिनांकः: 28 अप्रैल,2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः- जी0एस0टी0 कियान्वयन हेतु कार्ययोजना।

आप सभी अवगत है कि उत्तर प्रदेश में दिनांक 01.07.2017 से जी0एस0टी0 लागू हो रहा है एवं एस0जी0एस0टी0 लॉ पारित किये जाने हेतु विधान सभा का विशेष सत्र दिनांक 17.09.2017 से आहूत किया गया है। जी0एस0टी0 के कियान्वयन हेतु निम्न कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जाने हैं। अतः जी0एस0टी0 के कियान्वयन हेतु दिनांक 01.07.2017 से पूर्व किये जाने वाले कार्यों की विस्तृत रूप-रेखा व समय सीमा निम्नवत् निर्धारित की जाती है-

1. जी0एस0टी0 अधिनियम को पारित कराना एवं नियमावली तथा अन्य आवश्यक विज्ञप्तियों को प्रख्यापित करानाः-

जी0एस0टी0 काउंसिल द्वारा अनुमोदित जी0एस0टी0 लॉ विधयिका से पारित किया जाना है जिसके लिए विधान मण्डल का विशेष सत्र दिनांक 15.05.2017 से आहूत किया गया है। अतः दिनांक 10.05.2017 तक विधेयक नये विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु समस्त कार्यवाहियॉ मुख्यालय के सहयोग से शासन स्तर पर संपादित की जायेगी। माननीय विधान मण्डल द्वारा अधिनियम पारित हो जाने के उपरांत इसे अधिनियमित किया जायेगा। यह समस्त कार्यवाही दिनांक 31.05.2017 से पूर्व पूर्ण हो जाना संभावित है। अधिनियम के अधिनियमित हो जाने के उपरांत नियमावली के प्रख्यापन का कार्य जी0एस0टी0 काउंसिल के अनुमोदन के उपरांत किया जायेगा तथा अनुमोदन विज्ञप्तियां जी0एस0टी0 काउंसिल के अनुमोदन के उपरांत प्रख्यापित की जायेगी तथा यह कार्यवाही दिनांक 25.06.2017 तक पूर्ण की जानी अपेक्षित है। इस कार्यवाही हेतु मुख्यालय स्तर पर एडीशनल कमिश्नर (जी0एस0टी0) के निर्देशन में श्री अनूप कुमार माहेश्वरी, ज्वाइंट कमिश्नर (जी0एस0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय (फोन न0 7235001020) को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। O/C

2. जी0एस0टी0 के नियम-अधिनियम एवं नियमावली से संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं मूल्याकंनः-

इस संबंध में 5 दिवसीय प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर्स व ट्रेनर्स के माध्यम से पूर्व में सभी अधिकारियों को दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय के पत्र संख्या-जी0एस0टी0/शोध/जी0एस0टी0 परीक्षा/2017-18/29 दिनांक 12.04.2017